न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 219/2016

सदीक मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ——रेस्पॉडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधि.1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 14.08.2007

उपस्थिति—
श्री अशोक कुमार छाबडा, अभिभाषक अपीलांट
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 28-6-2019

1. आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 14.08.2007 से प्रार्थी सदीक मोहम्मद को आवंटन सलाहकार समिति की आम राय के अनुसार प्रार्थी के धारण की आराजी ग्राम उदयपुर गोदारान के ख.नं. 69/4 की कुल 20.10 बीघा कमाण्ड भूमि को टी.सी. से पुख्ता आवंटन की एवं शेष 17.10 बीघा टी.सी. खारिज कर अधिशेष घोषित की।

(A) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में दफा 5 के प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस फार्म नं. 3 के साथ राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 30.04.08 की फोटो कापी, राजस्व(ग्रुप—6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.05.08 की फोटो कॉपी, मो0 हनीफ, मो0 आरिफ, अहमददीन के शपथ पत्र, लिखित बहस, आर.आर.डी. 1996 पेज 16, आर.बी.जे. 2001 पेज 133 एस.सी. तथा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2014 की फोटो कॉपी पेश कर अपनी बहस में लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा रोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उदयपुर का ख.नं. 69/4 की 38.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर आवंटित में से 20.10 बीघा पुख्ता आवंटन की एवं शेष 17.10 बीघा भूमि को खारिज कर अधिशेष घोषित की गई की हद तक खिलाफ कानून एवं खिलाफ रिकार्ड पारित किया गया है जोकि प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। अपीलांट को रोही उदयपुर गोदारान का ख.नं. 69/4 की 38.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर सम्वत् 2040 में आवंटन की गई थी जिसका नवीनीकरण बराबर किया जाता रहा है। आदेश आवंटन नियम 1975 के तहत पारित किया गया जोकि निरस्त योग्य है।

(ii) प्रार्थी उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार लेने हेतु तहसीलदार के समक्ष दिनांक 18.10.16 को पेश हुआ तो तहसीलदार सूरतगढ ने कहा की आदेश दिनांक 14.08.07 को 17.10 बीघा भूमि निरस्त की गई है, पहले उक्त आदेश को निरस्त करवाकर लाओ। रकबा राज आराजी भूमि की खातेदारी नहीं दी जा सकती है।

(iii) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 31.05.2008 का हवाला देते हुए कथन किया कि धारा 18 के तहत सीलिंग सीमा तक खातेदारी अधिकार प्राप्त होगें। ऐसे आवंटी जिन्हें आरजी काश्त/पुख्ता आवंटित भूमि अछोट की व भूमि डी कॉलोनी होने के उपरांत भी भूमि पर कब्जा 2001 तक चला आ रहा है ऐसे काश्तकारों को सीलिंग सीमा तक खातेदारी अधिकार प्राप्त होगें।

(iv) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने यह भी कथन किया कि सूरतगढ डेजर्ट जोन में आता है। डेजर्ट जोन में 175 एकड भूमि तक सीलिंग एक्ट के तहत प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सीलिंग एक्ट के नियम 4 अध्याय 2 में दी गई पात्रता व सूरतगढ डेजर्ट जोन में आता है। अधी. न्यायालय द्वारा भूमि की सही गणना नहीं की गई है।

(v) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट ने अपील देरी से पेश करने के सम्बन्ध में अपील के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर टी.सी.आवंटित भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों व सिलिंग एक्ट को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सूरतगढ को निदेर्शित किया जावे। अपने कथनों को पुख्ता करने हेतु विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में न्यायिक दृष्टांतों आर.बी.जे. 2001 पेज 133 एस.सी. , आर.आर.डी. 1996 पेज 16 Limitation run from the date of knowledge , आर.एल.डब्लयू 2010 First Rev.judgement p.174 का हवाला दिया।

(vi) विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पारित किया गया है इसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। No Limitation Ab Initio void होता है। प्रा.पत्र आवंटन नियम 1975 नियम 5(2) पात्रतानुसार 25 बीघा भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के अनुसार सूरतगढ तहसील के 16 गांवो को उपनिवेश क्षेत्र घोषित किया गया है जिसमें उदयपुर गोदारान भी शामिल है। इसके अलावा अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील 10 वर्ष विलम्ब से पेश की है। अतः अपील मियाद बाहर होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

(a) हम यह पाते हैं कि अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.08.07 को प्रार्थी को टी.सी. पुख्ता आवंटन राज.उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 नियम 5(2) के तहत समुचित रूप से भूमि की गणना प्रार्थी के पिता की भूमि में नोशनल शेयर को शामिल करते हुए उचित रूप से किया गया है।

(b) अपीलांट द्वारा अपील वर्ष 2016 में यह कहते हुए की गई है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.05.2008 के अनुसार उक्त ग्राम जिसमें भूमि अवस्थित है डीकोलानाइज होने से आवंटन नियम 1970 के नियमों से गणनी की जानी चाहिए थी। हम प्रार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि अधी. न्यायालय का निर्णय गलत है या आरम्भतः शून्य है क्योंकि अपीलांट स्वयं यह स्पष्ट नहीं सके कि क्या आवंटन के समय भूमि डीकोलोनाइज्ड एरिया में थी या नहीं क्योंकि वे स्वयं वर्ष 2008 की राज्य सरकार की अधिसूचना का हवाला दे रहे है जबकि निर्णय के समय भूमि की गणना आवंटन नियम 1975 नियम 5(2) के तहत सही की गई थी। लिहाजा निर्णय में कोई विधिक त्रुटि या अवैधानिकता नहीं पाते।

(c) प्रार्थी द्वारा वर्ष 2007 के निर्णय की अपील वर्ष 2016 में की गई ये 9 वर्षो तक अपील में विलम्ब का औचित्य स्पष्ट नहीं कर सके जबकि वे स्वयं वर्ष 2008 के राज्य सरकार की अधिसूचना का हवाला दे रहे। अतः स्पष्ट है कि बरवक्त फैसला उक्त अधिसूचना

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रभाव में नहीं थी। अतः उनके द्वारा मियाद में विलम्ब की देरी का औचित्य स्पष्ट व सही एवं तार्किक नही होने से सारहीन है।

(d) राजकीय अभिभाषक ने स्पष्ट किया है कि अधी. न्यायालय का निर्णय सही है एवं वर्तमान में राज्य सरकार अधिसूचना के अनुसार उक्त रकबा कोलोनाइज्ड एरिया में शुमार है। उन्होंने अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 की प्रति भी प्रस्तुत की।

(e) इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील सारहीन व मियाद बाहर है व अधी. न्यायालय का निर्णय उचित व कानून सम्मत व संधारणीय है। लिहाजा अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28/6/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर